| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | फाल्गुन 14, शुक्रवार, *शाके* 1942–मार्च 5, 2021<br>*Phalguna 14, Friday, Saka 1942- March 5, 2021* | |


**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**कृषि (ग्रुप-2)विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, फरवरी 27, 2021**

**संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75:-**राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 17-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75-पार्ट दिनांक 05.05.2020, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के मद संख्या 4 के पश्चात् निम्न परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात्ः-

''परन्तु दिनांक 01.03.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए कृषक कल्याण फीस की दर प्रति सौ रूपये पर मद संख्या 3 में वर्णित कृषि उपज पर 1.00 रूपया एवं मद संख्या 4 में वर्णित कृषि उपज पर 0.50 रूपया होगी।''

**राज्यपाल की आज्ञा से,**
बृज गुप्ता,
**शासन उप सचिव।**


**7144**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**